दिनांक 23.02.2016 को विकास आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आयोजित एस0आई0पी0बी0 की (विशेष) बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–संलग्न सूची के अनुसार।

1– प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा बताया गया कि राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् में रखे जाने हेतु अब तक कुल 117 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें 63 प्रस्ताव राईस मिल के स्थापना से संबंधित है। पूर्व की बैठक में निर्णय लिया गया था कि चन्द्रगुप्त मैनेजमेन्ट इंस्टीच्यूट, पटना से राईस मिलों के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त इस पर विचार किया जाएगा। चन्द्रगुप्त मैनेजमेन्ट इंस्टीच्यूट, पटना द्वारा अपने प्रतिवेदन में अनुशंसा की गई है कि राज्य में अभी भी नए राईस मिल की आवश्यकता है। निर्णय लिया गया कि राईस मिल से संबंधित प्रस्तावों तथा अन्य प्रक्षेत्र के प्रस्तावों की समीक्षा कर राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् की अगली बैठक में रखा जाए।

2– प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा बताया गया कि राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् से सहमति प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण के कुल 87 प्रस्तावों का डी0पी0आर0 उद्योग विभाग द्वारा Empanelled PMA द्वारा तैयार किया जा चुका है। ये सभी इकाइयाँ शीघ्र स्थापित होने की स्थिति में हैं। चूँकि खाद्य प्रसंस्करण योजना दिनांक 31–03–2016 तक प्रभावी है, इन प्रस्तावों को PAMC अनुमोदन के संबंध में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् का मार्गदर्शन अपेक्षित है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि खाद्य प्रसंस्करण के इन प्रस्तावों पर PAMC स्वयं निर्णय ले तथा इसकी सूचना राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् की अगली बैठक में दी जाए।

3– निदेशक, तकनीकी विकास द्वारा बताया गया कि वर्ष 2009–10 में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् द्वारा सहमति प्राप्त 28 प्रस्तावों की अद्यतन स्थिति प्राप्त करने हेतु उद्यमियों को पत्र दिया गया था। इनमें से 06 उद्यमियों द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। शेष 22 प्रस्ताव जिसमें कुल रु0 70628.02 करोड़ का निवेश सन्निहित है, के संबंध में सूचना अप्राप्त है। इन 22 प्रस्तावों के राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् की सहमति निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

4– प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा सुझाव दिया गया कि विभिन्न सेक्टर के प्रस्तावों पर राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् की अलग–अलग बैठक बुलाई जाए, जिससे कि विस्तृत चर्चा हो सके।

5– रु0 100 करोड़ एवं 100 करोड़ से ऊपर की कुल 08 परियोजनाओं पर राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् की बैठक में निम्न प्रकार से सहमति प्रदान की गई :–

क0	कंपनी का नाम	प्रस्ताव	पूँजी निवेश	चेक–लिस्ट	विभाग का मंतव्य	निर्णय
1	मे0 जी0ई0 डीजल लोकोमोटिव प्रा0 लि0, 401, 402, 4जी फ्लोर, अग्रवाल मिलेनियम टावर, ई0–1, 2, 3, नेताजी सुभाष प्लेस, वजीरपुर, नई दिल्ली–110034	कंपनी बाजीयो, थाना नं0–45 एवं तलपुरैना, थाना नं0–47, मढ़ौड़ा, सारण में 120 अदद् प्रतिवर्ष क्षमता का डीजल लोकोमोटिव क उत्पादन हेतु इकाई की स्थापना का प्रस्ताव।	750.00 करोड़ रु0	1–प्रोजेक्ट प्रोफाईल 2–नेटवर्थ सर्टिफिकेट– 876132.00 करोड़ रु0 3–भूमि–200 एकड़ भूमि का इकाई के नाम से लीज संबंधी कागजात संलग्न है।	सहमति प्रदान की जा सकती है।	यह भारत सरकार की परियोजना है। अतः यह परियोजना औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2011 तथा राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की परिधि में नहीं आती है।

2	मे0 एल्सटोम, आई0 एच0 डी0 पी0 बिल्डिंग प्लॉट नं0–7, सेक्टर–127, नोयडा–201301, उत्तर प्रदेश।	कंपनी द्वारा ग्राम– लक्ष्मी रामपुर, ब्लॉक, मधेपुरा, जिला–मधेपुरा में 120 रेलवे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अदद् प्रतिवर्ष क्षमता का बिजली लोकोमोटिव के उत्पादन हेतु इकाई की स्थापना का प्रस्ताव।	435.00 करोड़ रु0	1–प्रोजेक्ट प्रोफाईल 2–नेटवर्थ सर्टिफिकेट– 215.024 करोड़ 3–भूमि–275 एकड़ भूमि का कंपनी के नाम से इण्डियन रेलवे द्वारा लीज करने का पत्र प्राप्त है।	सहमति प्रदान की जा सकती है।	यह भारत सरकार की परियोजना है। अतः यह परियोजना औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2011 तथा राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की परिधि में नहीं आती है।
3	मे0 राधा बल्लभ मेडिकल फाउण्डेशन ट्रष्ट, 2 एम0/106, शान्ति निकेतन, बहादुरपुर हाऊसिंग कॉलोनी, अगमकुआं, पटना–800026	ट्रष्ट द्वारा गोलमा, सौर बाजार, सहरसा में 500 बेड का हॉस्पिटल और 100 छात्र क्षमता का मेडिकल कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव।	151.49 करोड़ रू0	1–प्रोजेक्ट प्रोफाईल 2–नेटवर्थ सर्टिफिकेट–418.84 लाख रू0 3–भूमि–28 एकड़ भूमि ट्रष्ट के नाम से होने संबंधी कागजात संलग्न है।	सहमति प्रदान की जा सकती है।	प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।
4	मे0 ए0सी0एम0इ0 नालन्दा सोलर पावर प्रा0 लि0, प्लॉट नं0–152, सेक्टर–44, गुडगांव, हरियाणा–122002	कंपनी द्वारा हेडेमंगरा, आई0पी0सी0 प्लांट के नजदीक, बाँका में 15 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट (रिनुएबल इनर्जी जेनरेशन) की स्थापना का प्रस्ताव।	113.33 करोड़ रु0	1–प्रोजेक्ट प्रोफाईल 2–नेटवर्थ सर्टिफिकेट–1106.89 करोड़ रु0 3–भूमि–73.18 एकड़ भूमि का कम्पनी के नाम से क्रय का कागजात संलग्न है।	सहमति प्रदान की जा सकती है।	प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।
5	मे0 मोजर बियर क्लीन इनर्जी लि0, नई दिल्ली।	कंपनी द्वारा शेरघाटी, गया में 10 मेगावाट का सोलर फोटो वोल्टेक पॉवर प्लांट की स्थापना एवं मे0 मोजर बीयर क्लीन इनर्जी लि0 से मे0 हिन्दुस्तान क्लीन इनर्जी लि0 तथा एस0पी0भी0 मे0 मोजर बीयर इनर्जी एण्ड प्रोजेक्ट लि0 से मे0 सनमार्क इनर्जी प्रोजेक्ट लि0 का स्थापना हेतु	100.00 करोड़ रु0	दिनांक 29–01–2014 को हुई एस0आई0पी0बी0 की बैठक में नाम परिवर्त्तन एवं स्थान परिवर्त्तन के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई। बिहार पॉलिसी फॉर परमोशन ऑफ न्यू एण्ड रिन्यूएबल इनर्जी सोर्सेज–2011 के क्लाउज–4.4.1 के आलोक में रिन्यूएबल प्रोजेक्ट का फिनांनसियल क्लोजर एस0आई0पी0बी0 के एप्रूभल की	दिनांक 31.12.2016 तक की अवधि विस्तार पर सहमति प्रदान की जा सकती है।	BERC द्वारा सी0 ओ0 डी0 के समय निर्धारित जेनरिक टैरिफ की अनुमान्यता के शर्त्त के साथ दिनांक 30–11–2016 तक सी0ओ0डी0 की अवधि विस्तार का निर्णय लिया गया।

		सी0ओ0डी0 की तिथि को 31 दिसम्बर, 2016 तक करने हेतु स्वीकृति के संबंध में।		तिथि से आठ महीने के अंदर किया जाना है। कंपनी द्वारा 05 करोड़ रु0 की बैंक गारंटी बिहार स्टेट पॉवर होल्डिंग कं0 लि0 को जमा की जा चुकी है एवं इसके अतिरिक्त लगभग 40 करोड़ रु0 का ई0पी0सी0 कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है। पुनः कंपनी द्वारा अपने अनुरोध पत्र में सूचित किया है कि बी0ई0आर0सी0 द्वारा सी0ओ0डी0 की अवधि निरस्त नहीं किया गया है, अपितु बी0ई0आर0सी0 ने अपने ऑर्डर के उक्त क्लाउज में यह स्पष्ट किया है कि किसी भी अवधि विस्तार की स्थिति में प्रोजेक्ट को उस तिथि का कंट्रोल पिरिअड टैरिफ लागू होगा, जिस तिथि को वह प्रोजेक्ट कमिशनिंग करेगा। कंपनी द्वारा अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट का 35 प्रतिशत से अधिक का निवेश हो चुका है। उक्त के आलोक में दिनांक 30.06.2015 को हुई SIPB की बैठक में सी0ओ0डी0 की अवधि 31–03–2016 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। पुनः कंपनी के पत्र दिनांक 06.01.2016 के द्वारा सूचित		

				किया गया है कि परियोजना में 32 करोड़ से अधिक का निवेश किया जा चुका है। कंपनी द्वारा सी0ओ0डी0 का अवधि विस्तार 31–12–2016 तक करने का अनुरोध किया गया है। अतः प्रस्ताव पर निर्णय लिया जा सकता है।		
6	मे0 रीगा सुगर कंपनी लि0 धनुका ग्राम, रीगा, सीतामढ़ी–843827	कंपनी द्वारा रीगा, सीतामढ़ी में 08 मेगावाट का को–जेनरेशन पावर प्लांट के अतिरिक्त 03 मेगावाट का को–जेनरेशन पावर प्लांट के स्थापना हेतु पूर्व से स्वीकृत प्रस्ताव का सी0ओ0डी0 विस्तार का प्रस्ताव।	161.46 करोड़ रु0	1–प्रोजेक्ट प्रोफाईल 2–नेटवर्थ सर्टिफिकेट– दिनांक 28.11.2012 को हुई SIPB की बैठक में कंपनी द्वारा 08 मेगावाट का को–जेनरेशन पावर प्लांट के अतिरिक्त 03 मेगावाट का को–जेनेरेशन पावर प्लांट स्थापना के संबंध में सहमति प्रदान की गई थी।	31 जनवरी, 2016 तक सी0ओ0डी0 का अवधि विस्तार पर सहमति दी जा सकती है।	BERC द्वारा सी0 ओ0 डी0 के समय निर्धारित जेनरिक टैरिफ की अनुमान्यता के शर्त्त के साथ दिनांक 31–01–2016 तक सी0ओ0डी0 की अवधि विस्तार का निर्णय लिया गया।
7	मे0 कानोडिया इन्फ्राटेक लि0, फ्लेट नं0–102, महालक्ष्मी अपार्टमेंट, नवोदित नगर, तुलसीपुर, महमूरगंज, उत्तर प्रदेश–221010	कंपनी द्वारा दुर्गावती, भभूआ, में पूर्व से स्वीकृत 06 लाख MT क्षमता का संशोधन कर 12 लाख MT प्रतिवर्ष क्षमता का सीमेन्ट प्लांट के स्थापना का प्रस्ताव।	127.42 करोड़ रु0	1–प्रोजेक्ट प्रोफाईल 2–नेटवर्थ सर्टिफिकेट–347.347 लाख रु0 3–भूमि–04 एकड़ भूमि के क्रय का कागजात संलग्न है।	इकाई द्वारा Revised Project Report के अनुसार इकाई स्थापना का प्रस्ताव है जिसके परियोजना लागत रु0 78.55 करोड़ से बढ़कर रु0 127.42 करोड़ हो गइ है तथा क्षमता 06 लाख टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 12 लाख टन प्रतिवर्ष हो गई है। मूल परियोजना पर 11.06.2012 को हुई SIPB की बैठक में सहमति प्रदान की गई है। दिनांक 09.12.2015 को हुई SIPB की बैठक में इकाई के प्रस्ताव को लंबित रखते हुए इकाई से नेटवर्थ	दिनांक 11–06–2012 को हुई राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् की बैठक में स्वीकृत मूल परियोजना को इकाई द्वारा दिए गए Revised Project Report के अनुसार 12 लाख मे0 टन प्रतिवर्ष क्षमता की सीमेन्ट प्लांट की इकाई स्थापन के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

					की मूल प्रति की मांग करने का निर्णय लिया गया। उक्त के आलोक में इकाई द्वारा नेटवर्थ की मूल प्रति उपलब्ध करा दिया गया है। अतः प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की जा सकती है।	
8	मे0 बिहार डिस्टलर्स एण्ड बोटलर्स प्रा0 लि0, देवड़ी, आरा, गड़हणी, भोजपुर।	कंपनी द्वारा पूर्व से स्वीकृत 660 के0एल0पी0डी0 क्षमता के डिस्टलरी प्लांट के प्रथम चरण में 180 के0एल0पी0डी0 क्षमता का डिस्टलरी प्लांट एवं 9.4 मेगावाट क्षमता का को–जेनरेशन पावर प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव।	110.00 करोड़ रु0	दिनांक 17.07.14 को हुई एस0आई0पी0बी0 की बैठक में 217800 KLPA (660 KLPD) मोलासिस/ग्रेन बेस्ड डिस्टलरी प्लांट के उत्पादन हेतु इकाई के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी थी। कंपनी द्वारा सूचित किया गया कि प्रथम चरण मे सिर्फ 180 KLPD क्षमता का डिस्टलरी प्लांट एवं 9.4 मेगावाट क्षमता का को–जेनरेशन पावर प्लांट की इकाई का स्थापना किया जायेगा जिसमें रु0 110.00 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है।	दिनांक 09.12.15 को हुई SIPB की बैठक में इकाई के प्रस्ताव को लंबित रखते हुए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से मंतव्य प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। उक्त के आलोक में निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पत्रांक 316 दिनांक 18.01.16 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि "विभागीय पत्रांक 270 दिनांक 25.01.2012 द्वारा कम्पनी को 660 KLPD का अन्न एवं छोआ आधारित आसवनगृह में ई0एन0आर0, आर0एस0, आई0एम0एफ0एल0, इण्डस्ट्रीयल अल्कोहल, विकृत सुषव एवं विशेष विकृत सुषव के विनिर्माण हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई थी। तद् आलोक में प्रथम चरण में 180 KLPD क्षमता का डिस्टलरी प्लांट की	प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि इकाई के अनुरोध एवं निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की अनुशंसा के आलोक में प्रथम चरण में सिर्फ 180 KLPD क्षमता का डिस्टलरी प्लांट एवं 9.4 मेगावाट क्षमता का को–जेनरेशन पावर प्लांट की इकाई का स्थापना के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।

					स्थापना हेतु सहमति आयुक्त उत्पाद, बिहार द्वारा इस शर्त्त के साथ प्रदान की गई है कि विभाग द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक सहमति के आलोक में संबंधित कम्पनी द्वारा दूसरे चरण में पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने हेतु ससमय निर्माण कार्य पूरा कर लिया जायेगा।" निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में इकाई के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की जा सकती है।	

ह0/–
निदेशक, तकनीकी विकास,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ह0/–
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ह0/–
विकास आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– /पटना, दिनांक–
4तक0विविध/सी/16/2006(पार्ट–iv)

प्रतिलिपि–बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक, तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– /पटना, दिनांक–
4तक0विविध/सी/16/2006(पार्ट–iv)

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/सी0एम0डी0, बिहार स्टेट पॉवर (होल्डिंग) कं0 लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिआडा, गांधी मैंदान, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना/अध्यक्ष,बिहार उद्योग संघ, पटना/अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक, तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 563 /पटना, दिनांक– 14.03.16

प्रतिलिपि–मुख्यमंत्री, बिहार, पटना के सचिव/ उद्योग मंत्री, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ विकास आयुक्त, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना के आप्त सचिव/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/निदेशक (खाद्य प्रसंस्करण) निदेशालय, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.03.2016
निदेशक, तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।